संख्या-82/2023/3564/22-2-2022-17(84)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2023

विषय:-जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परमात्मा पुत्र श्री रामनाथ, निवासी जनपद-संतकबीर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14-09-2022) दिनांक-02-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परमात्मा पुत्र श्री रामनाथ, जो सियाकटाई, थाना-दुधारा, जनपद-संतकबीर नगर का रहने वाला है, द्वारा पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 10/11.06.1999 को अपने 10 अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा व चाकू से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 09 अन्य लोगों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-249/1999 में भा0द0वि0 की धारा-148 307, 302 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बस्ती के आदेश दिनांक 12.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.12.2009 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 17.08.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.06.2022 तक 14 वर्ष 10 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 08 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, संतकबीर नगर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 10/11.06.1999 को बंदी ने अपने 10 अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा व चाकू से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने व 09 अन्य लोगों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बन्दी की आम शोहरत आपराधिक प्रवृत्ति की होने, दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी परमात्मा पुत्र श्री रामनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी परमात्मा (बन्दी संख्या-620/2017) पुत्र श्री रामनाथ, निवासी जनपद-संतकबीर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-82/2023/3564(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-82/2023/3564/22-2-2022-17(84)/2022

दिनांक 28 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परमात्मा पुत्र श्री रामनाथ, जो सियाकटाई, थाना-दुधारा, जनपद-संतकबीर नगर का रहने वाला है द्वारा पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 10/11.06.1999 को अपने 10 अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा व चाकू से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 09 अन्य लोगों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-249/1999 में भा0द0वि0 की धारा-148 307, 302 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बस्ती के आदेश दिनांक 12.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.12.2009 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 17.08.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.06.2022 तक 14 वर्ष 10 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 08 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, संतकबीर नगर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 10/11.06.1999 को बंदी ने अपने 10 अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा व चाकू से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने व 09 अन्य लोगों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बन्दी की आम शोहरत आपराधिक प्रवृत्ति की होने, दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी परमात्मा पुत्र श्री रामनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।